''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 259]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 अक्टूबर 2006—आश्विन 14, शक 1928

गृह (पुलिस) विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

अधिसूचना

क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006.—छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2006 के नियम 11 (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा पुलिस उप निरीक्षक की सीधी भर्ती में 30% महिलाओं के आरक्षण को कम करते हुए एक भर्ती वर्ष के लिए 10% करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एन. एक्का, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 6 अक्टूबर 2006

क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना समसंख्यक दिनांक का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. एन. एक्का, उप-सचिव.

Raipur, the 6th October 2006

NOTIFICATION

No. F 2-254/Two (Home)/S.P.S./2006.—In exercise of the powers conferred by the Rule 11 (7) of Chhattisgarh Police Executive (Non-Gazetted) Service Recruitment Rules, 2006, State Government hereby reduce the percentage of reservation for the post of women from 30% to 10% for one appointment year in the direct recruitment of Police Sub Inspectors.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh.
N. N. EKKA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006